**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1021**

**उत्‍तर देने की तारीख: 03.12.2012**

**राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना**

1021. **श्री अश्क अली टाक:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन की विविध योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक कितने व्यक्‍तियों एवं समितियों को कितना-कितना ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया गया, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में खादी एवं ग्रामोद्योग र्इकाइयों की स्थापना हेतु एवं विविध सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये गये एवं कितनी सहायता दी गर्इ; और

(ग) उक्त अवधि में खादी एवं ग्रामोद्योग की कितनी नवीन इकाइयों की स्थापना हुर्इ?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री के. एच. मुनियप्‍पा)**

(क): राजस्थान में वर्ष 2009-10 से 2012-13 (31.10.2012 तक) के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तियों/सोसाइटियों को प्रदान किए गए अनुदान की राशि अनुबंध I पर दिया गया है। केवीआईसी द्वारा राजस्थान में वर्ष 2009-10 से 2012-13 (31.10.2012 तक) केवीआई कार्यक्रमों के तहत व्यक्तियों/सोसाइटियों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया है।

(ख)और(ग): केवीआईसी गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी येाजना कार्यान्वित कर रहा है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रू. तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू. है। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पीएमईजीपी के तहत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीएलटीएफ) द्वारा बैंकों को अग्रेषित आवेदन, बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन तथा संवितरित मामलों/सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या निम्नोक्त है:-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | प्राप्त आवेदनों की संख्या | जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीएलटीएफ) द्वारा बैंकों को सिफारिश किए गए आवेदनों की संख्या | बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्‍या | संवितरित मामले/सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्‍या | सहायता प्राप्त इकाइयों को प्रदान की गई मार्जिन मनी सब्‍सिडी की राशि  (करोड़ रू. में) |
| 2009-10 | 10414 | 5035 | 2523 | 1438 | 29.36 |
| 2010-11 | 13762 | 6194 | 3244 | 2481 | 39.05 |
| 2011-12 | 9208 | 4733 | 2353 | 2075 | 35.18 |

\*\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध I**

**लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1021 जिसका उत्तर 03.12.2012 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध I**

**राजस्थान में 2009-10 से 2012-13 (31.10.2012 तक) के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तियों/सोसाइटियों को प्रदान किए गए अनुदान की राशि**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **योजना** | **2009-10 से 2012-13 (31.10.2012 तक) प्रदान किए गए अनुदान की राशि**  **(लाख रू. में)** | **लाभान्वित व्यक्तियों/ सोसाटियों की संख्या** |
| 1. | पीएमईजीपी\* | 10454.25 | 6035 (परियोजनाएं) |
| 2. | अन्य योजनाएं  [विपणन विकास सहायता, छूट, ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन, उत्पाद विकास डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग, खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना, खादी उद्योग एवं कारीगरों के उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना एवं विपणन आधारभूत संरचना के लिए सहायता, ग्रामोद्योग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी] | 969.21 | 54 (संस्थान) |
|  | कुल | 11423.46 |  |

\*पीएमईजीपी-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-मार्जिन मनी सब्सिडी